

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि.प्रा.(II)व²—70/2010—

/ पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय:— विभागान्तर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी तथा नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के छात्र/छात्राओं को, संस्थान परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने तक, शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू. 1,00,00,000=00 (एक करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं उक्त राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प संख्या-2730, दिनांक 16.11.2011 के आलोक में विभागान्तर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी तथा नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के छात्र/छात्राओं को, संस्थान परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने तक, शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू. 1,00,00,000=00 (एक करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं उक्त राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है—

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि
1.	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	रू. 49,00,000=00
2.	मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी	रू. 18,50,000=00
3.	नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी	रू. 32,50,000=00
	कुल	रू. 1,00,00,000=00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112- इंजिनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड-43-2203001120001) के अधीन 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. भाड़े पर बसों को रखे जाने के लिए उक्त विभागीय संकल्प की कंडिका -5 में निहित प्रावधानों एवं बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा तथा संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार बसों का परिचालन एक से अधिक ट्रीप में किया जा सकेगा।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, गया, मोतिहारी तथा हिलसा की जायेगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

महालेखाकार

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस हेतु आवंटित राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक - वि.प्रा.(II)व²-70/2010-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(II)व²-70/2010-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, गया, मोतिहारी एवं हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(II)व²-70/2010-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी/विशेष कार्य पदाधिकारी, गंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(II)व²-70/2010-

1866

/ पटना, दिनांक- 25/7/18

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

